2017/000461

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सुनील कुमार एडवोकेट पुत्र श्री पाबूराम विश्नोई निवासी ग्राम मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 253/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 05.09.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से चाही गई थी। परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणं अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब क्रमांक 1698 दिनांक 23.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी का सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन–पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपील का संबंध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्देशित किया गया है कि वे अपील का जवाब प्रस्तुत करें तथा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने पत्रांक 2301–02 दिनांक 24.10.17 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की है कि संबंधित पत्रावली का आप अवलोकन कर सकते है। पत्रावली का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने के कारण सूचना दी जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, कोलायत द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है, ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर